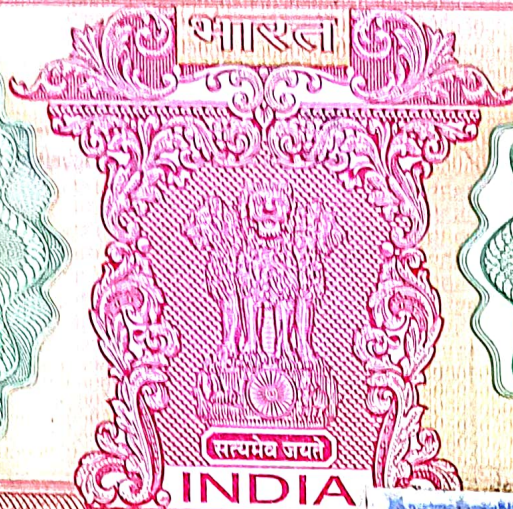


भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA

INDIA

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRA



BT 514885

ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 08.04.2019 को ग्राम बघौड़ा, तहसील-मड़िहान, जिला मीरजापुर (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया।

1. मुन्नर सिंह पुत्र जगनरायन सिंह निवासी बघौड़ा, पोस्ट-बघौड़ा, तहसील-मड़िहान, जिला-मीरजापुर, आधार सं0-3939 2481. 6987, मो0नं0-7985974512(प्रधान ट्रस्टी)

जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये मात्र) की राशि है, जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न स्रोतों से दान उपकार ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 11,000/- (ग्यारह हजार

मुन्नर सिंह → बू. सिंह



26/8/86 मुन्नीसिंह जी अग्रवाल को 2500 रु. का चेक जारी किया गया है।



राजेश सिंह

खत नं०-3, ला० की अर्वा...
पिन कोड, तहसील महिषा, गीरगढ़



भारतीय गैर न्यायिक

पचास

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

NON JUDICIAL

BT 514886

2

नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजामुक्त कार्यालय ग्राम बघौड़ा, तहसील-मड़िहान, जिला मीरजापुर (उ०प्र०) रहेगा अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य - ट्रस्ट नियम उद्देश्यों पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

- 1- विना लिंग भेद किये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला जूनियर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा संकाय शारीरिक शिक्षासंकाय पुस्तकालयों वाचनाओं, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालाओं, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसाधन केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र सामुदायिक विकाश केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना नामकरण विकास, सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्धन संचालन आदि कर सकात तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों

मुख्य अधिकारी

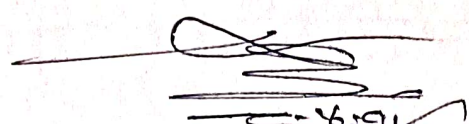


ने.ब्यू.कि.ह.



240
70

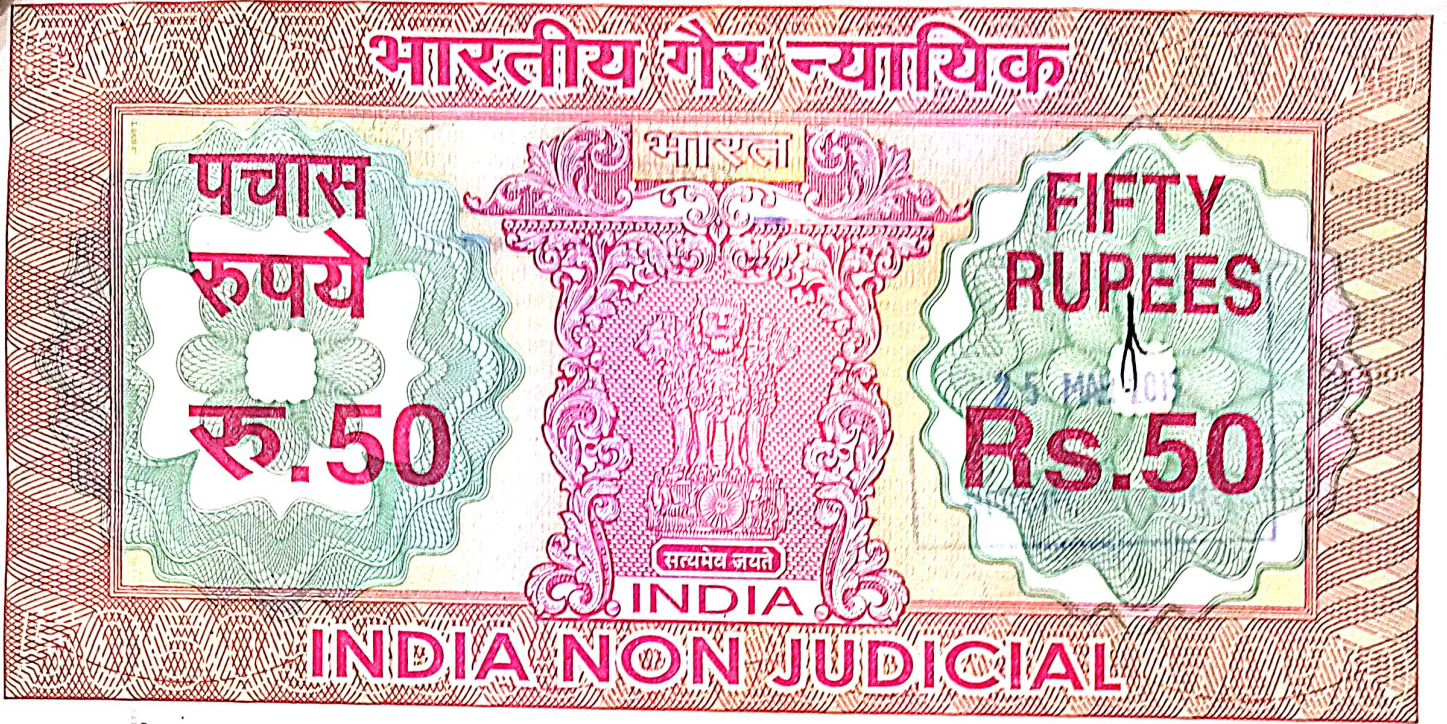
गुनहारे की अगुआई में २५० वृद्धों का भोजन



राजधर सिंह
डा० पी०३, ला० की अगुआई.....
प्रधान पिछेवा, तह० महिहान, पीरवापुर

1
25 MAR 2018
महिहान, ला०





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT. 514887

3

- विभागो, प्रतिष्ठानों संस्थाओं, स्थानों, शासन आदि से मान्य समद्व, आवद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
- 2- ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
 - 3- खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
 - 4- कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।
 - 5- उद्यानी करण एवं जंगलात का विकास करना।
 - 6- महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
 - 7- प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं (कोचिंग) की स्थापना करना।
 - 8- कृषि संगीत सम्वन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
 - 9- केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

मुन्तर सिंह

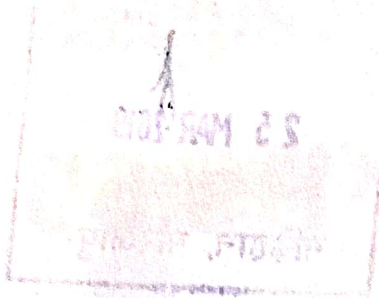
ने वृद्धि

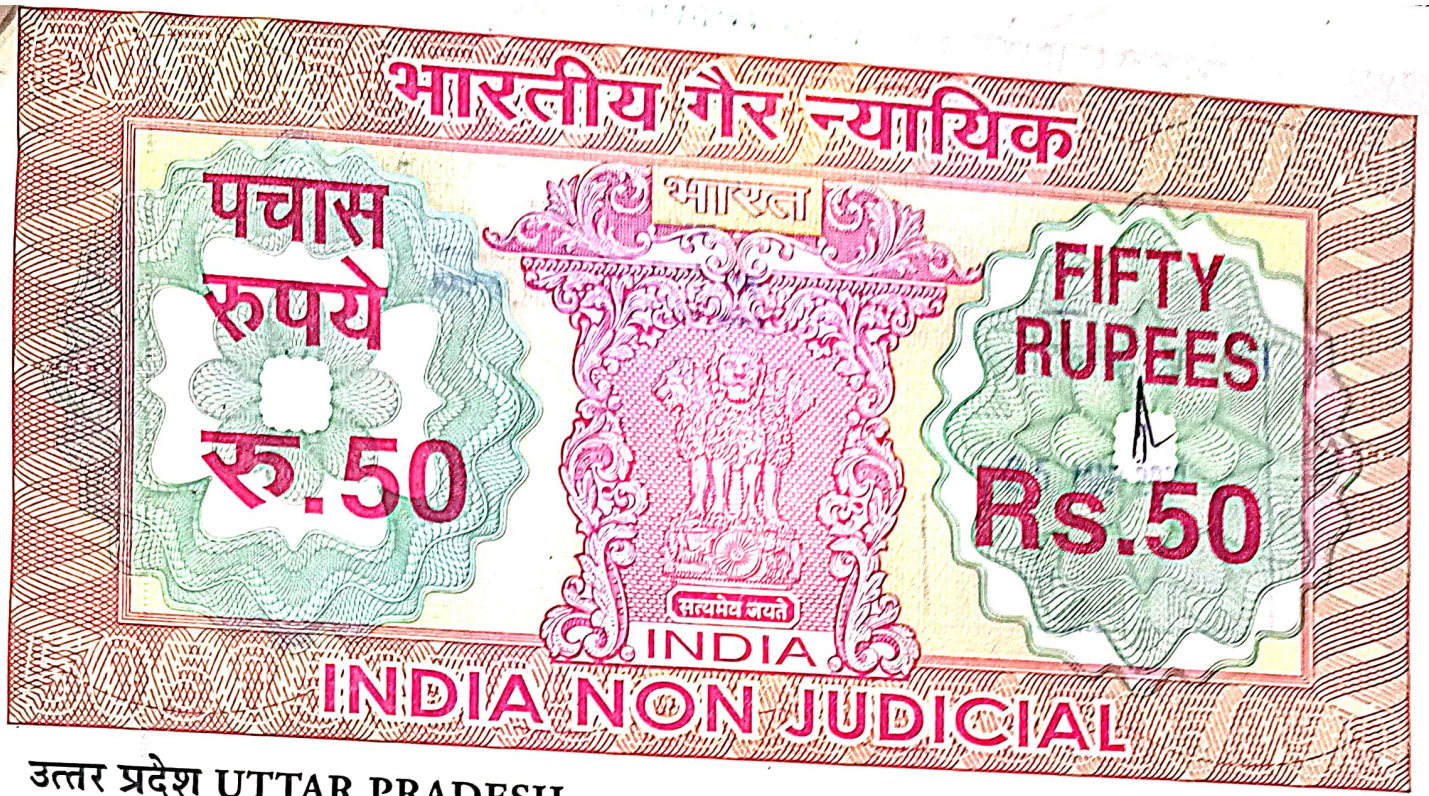


249
80

श्री नरसिंह जी अग्रवाल पीएच 200 के ब्योता के नोट

6-91
राजधर सिंह
काग नं०-3, काग की जगह,.....
पञ्जा विवेक, तपः परिधान, मीरपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514888

4

- 10- आई0आई0टी, आई0टी0आई0, फार्मसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथैरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग वी0 फार्मों एम0 फार्मों आदि कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
- 11- समाज के लोगों के लिए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
- 12- पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र/पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
- 13- अन्धे गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा, आवास भोजन, इत्यादि की व्यवस्था करना।
- 14- विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रवन्ध करना।
- 15- विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि एवं सुविधाओं का व्यवस्था करना।
- 16- पुस्तकों साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

मुन्तराई

नेव्हाई

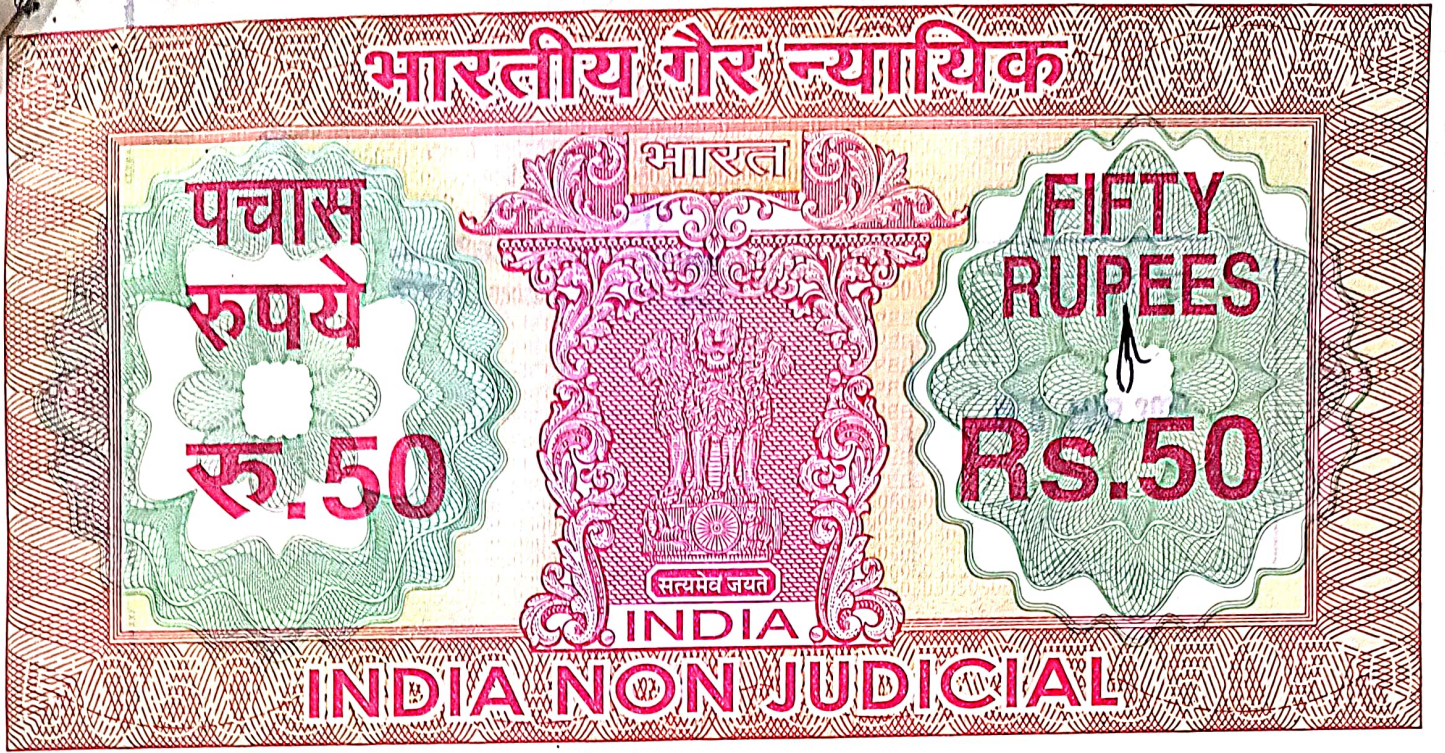


[illegible]


राजेंद्र सिंह
खान 40-3, लोह की बगिचा.....
पिछला, तह 0 मजिदना, भीरमना

22 NOV 68





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514889

5

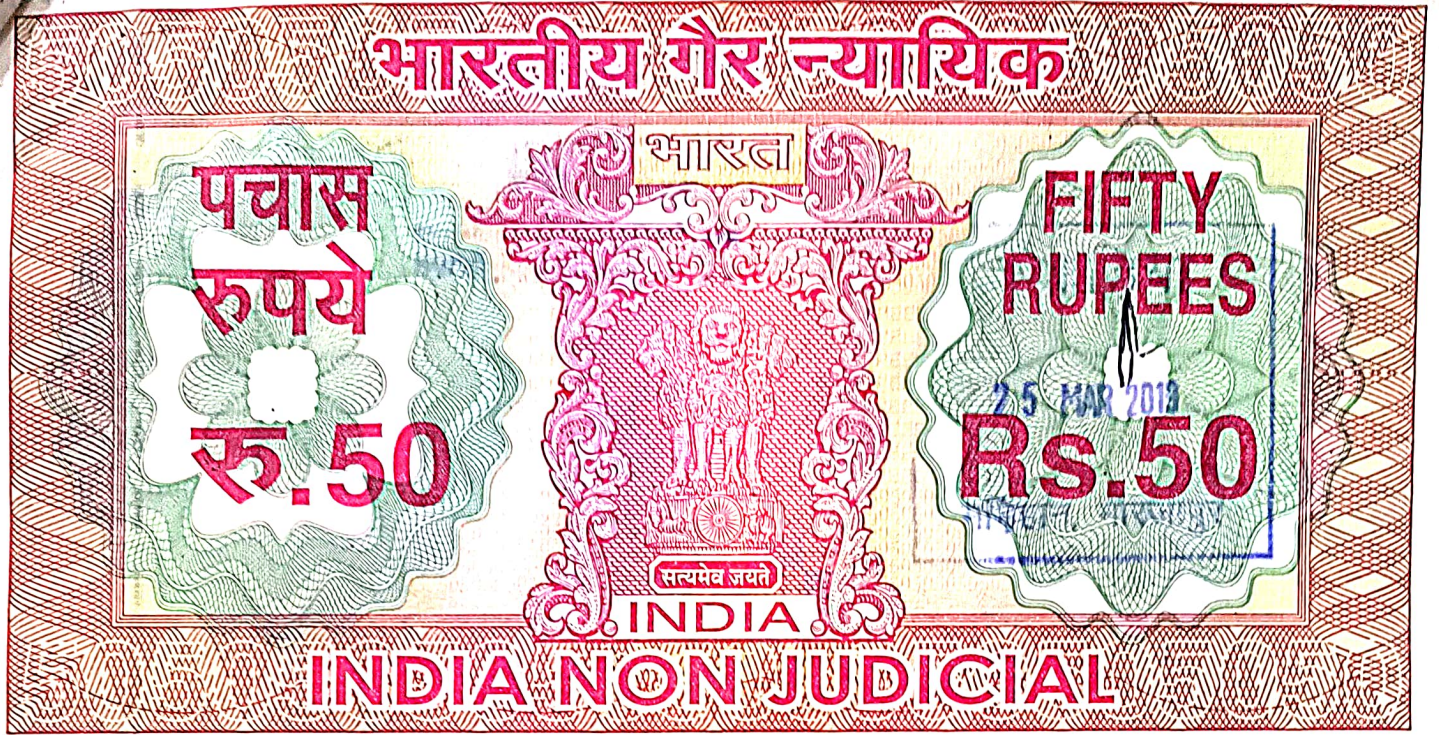
- 17- सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएँ, बैठक, विशेष कक्षाएँ, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
- 18- सिलाई-कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
- 19- व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना एवं किसी भी पंजीकृत सोसाइटी को इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
- 20- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
- 21- विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
- 22- आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
- 23- कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार कर सकना।
- 24- पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे प्रचार कर सकना एवं सेमिनार कर सकना।
- 25- एड्स के बारे में जन-जागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना।
- 26- पुस्तक/पुस्तिकाएँ, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित व विक्री कर सकना।
- 27- ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

मुन्सिफ

ने. ०२.१६



~~(कृष्णराज) नं० अमानसपरीतह २५७८ जयपुरा टापू~~



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514890

6

- 28- पत्राचार द्वारा अध्यापन अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्विधित आवश्यक व्यवस्थाएँ कर सकना।
- 29- उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधारी, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
- 30- धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधार कर सकना।
- 31- बौध मन्दिर का निर्माण करना एवं सभी धर्मों के बीच समन्वय हेतु जागरूकता।
- 31- जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
- 32- विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
- 33- विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधार अन्य को प्रदान कर सकना।
- 34- ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग कर सकना।
- 35- ट्रस्ट जन सामान्य के लिए द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट तथा सम्भव अपनी सेवायें/वस्तुएँ लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण मछली पालन, भेड़ बकरी, पशु पालन आदि का प्रचार कर सकना।

गुप्त सिंह

ने बुद्धि



अनुसूचित. अथवा अपमानित रूप से व्यवहार करने.

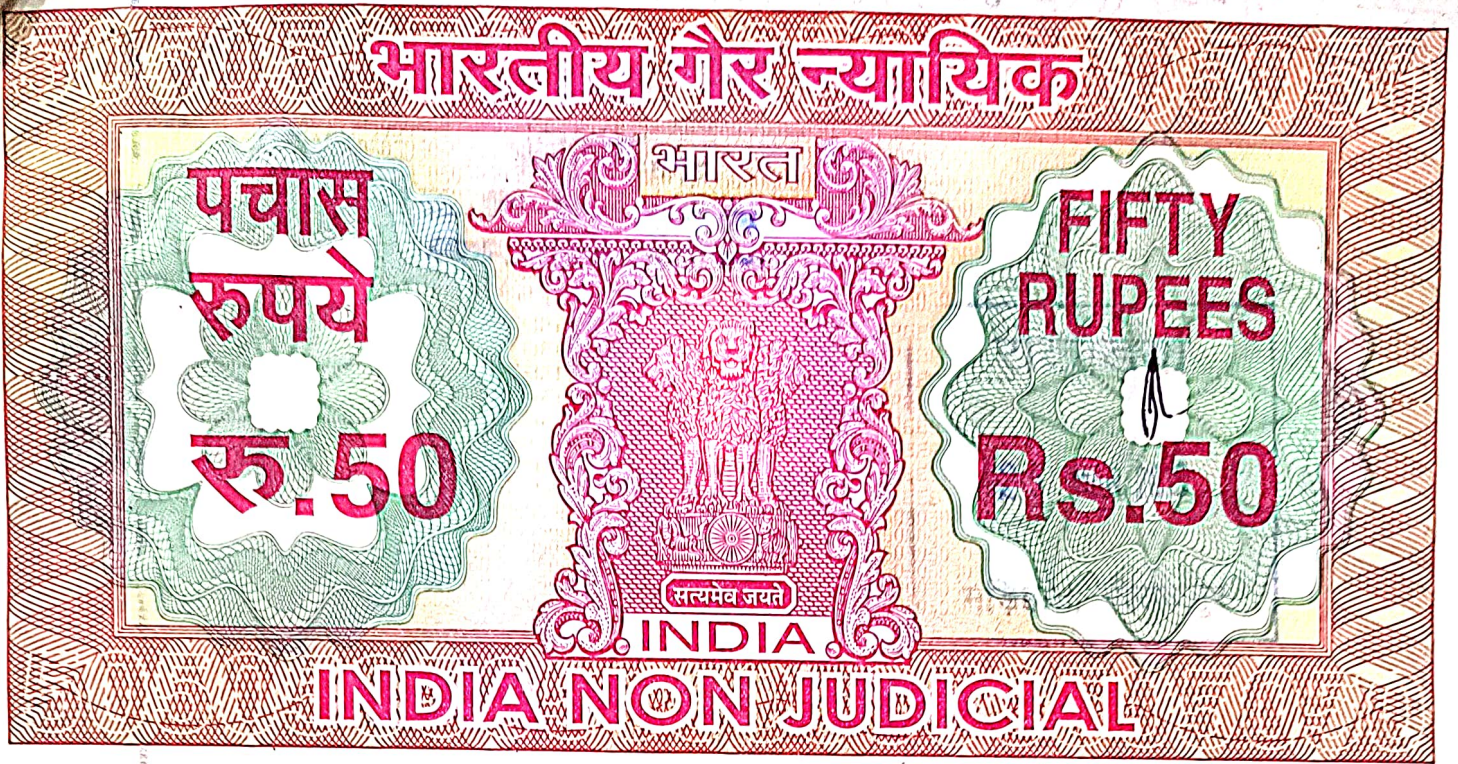
राजधर सिंह

सं० ३, ला० की अगुवाई...
... वि० ला०, तह० महिमान, गीरगढ़

3 2 MAR 2019

पुस्तक संख्या: १२३४५





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514891

7

- 36- ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
- 37- ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
- 38- किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लीनिक का निर्माण करना।
- 39- किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
- 40- संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिये जिला, प्रदेश, देश पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
- 41- दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर राजनैतिक स्तर आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।
- 42- धरना प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना।
- 43- शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
- 44- सेक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनको रोजगार उपलब्ध कराना।



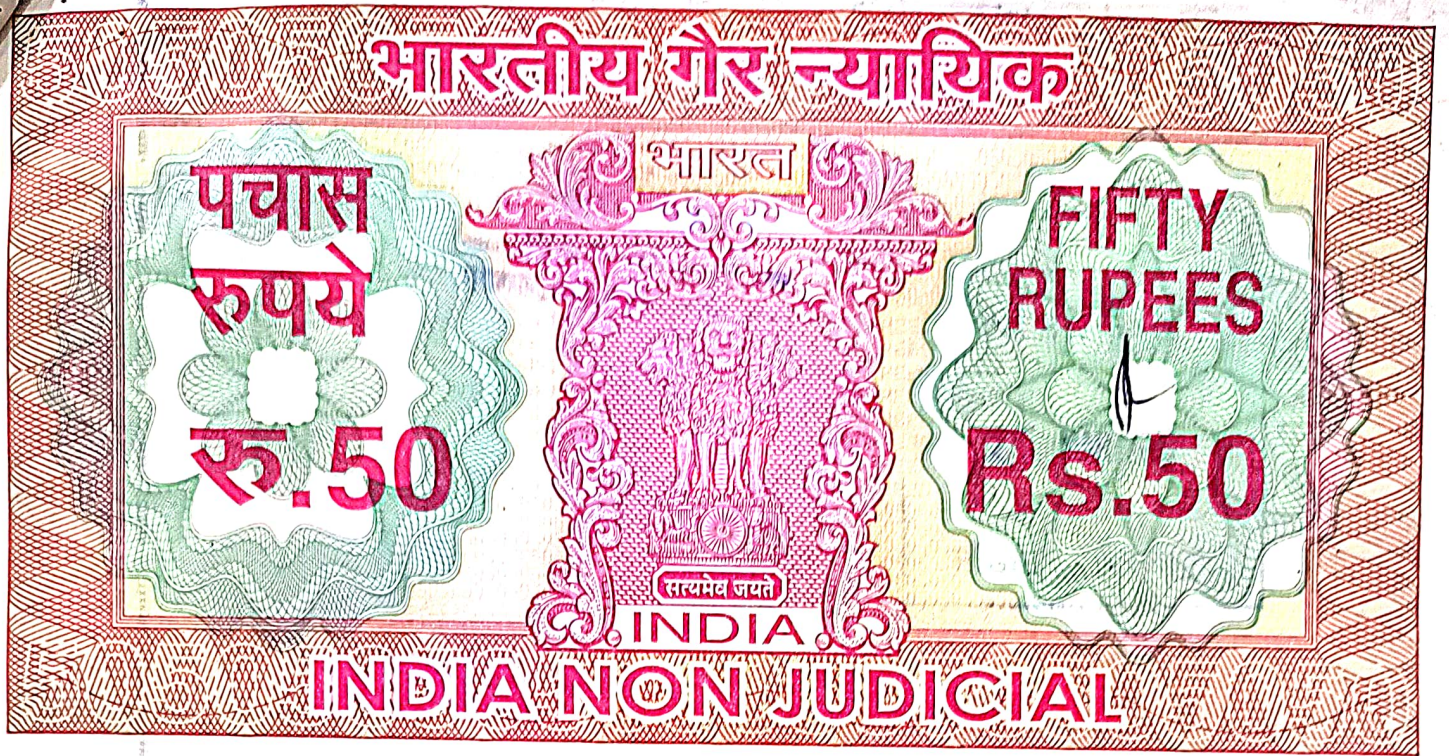
244
89

नमो भगवते वासुदेवाय

राजेश्वर सिंह

का० नं०-३, ला० की अर्पण...
प्रदेश विजेता, तम्र पदकान, मीरवापुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514892

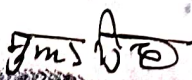
8

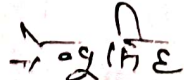
प्रारम्भिक उपबन्ध

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक से मुन्नर सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख की रचयिता भी हैं, को इस ट्रस्ट/न्यास का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी प्रधान ट्रस्टी मुन्नर सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में जब चाहें अपना उत्तरदायित्व अपने विवेक से अपने उत्तराधिकारी/सह ट्रस्टी को हस्तान्तरित कर सकते हैं।
4. नेबू सिंह पुत्र जगनारायण सिंह निवासी बघौरा, तहसील-मड़िहान, जिला-मीरजापुर (ट्रस्टी) आधार सं०-4290 9969 8773, मो०नं०-9793891682

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।



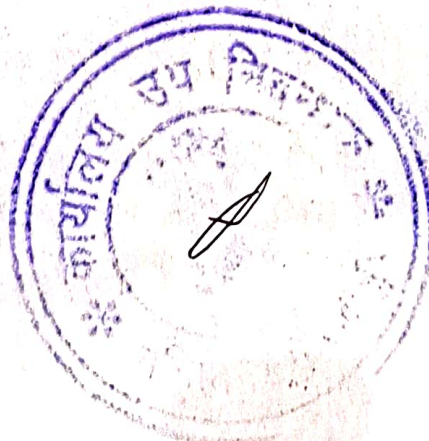



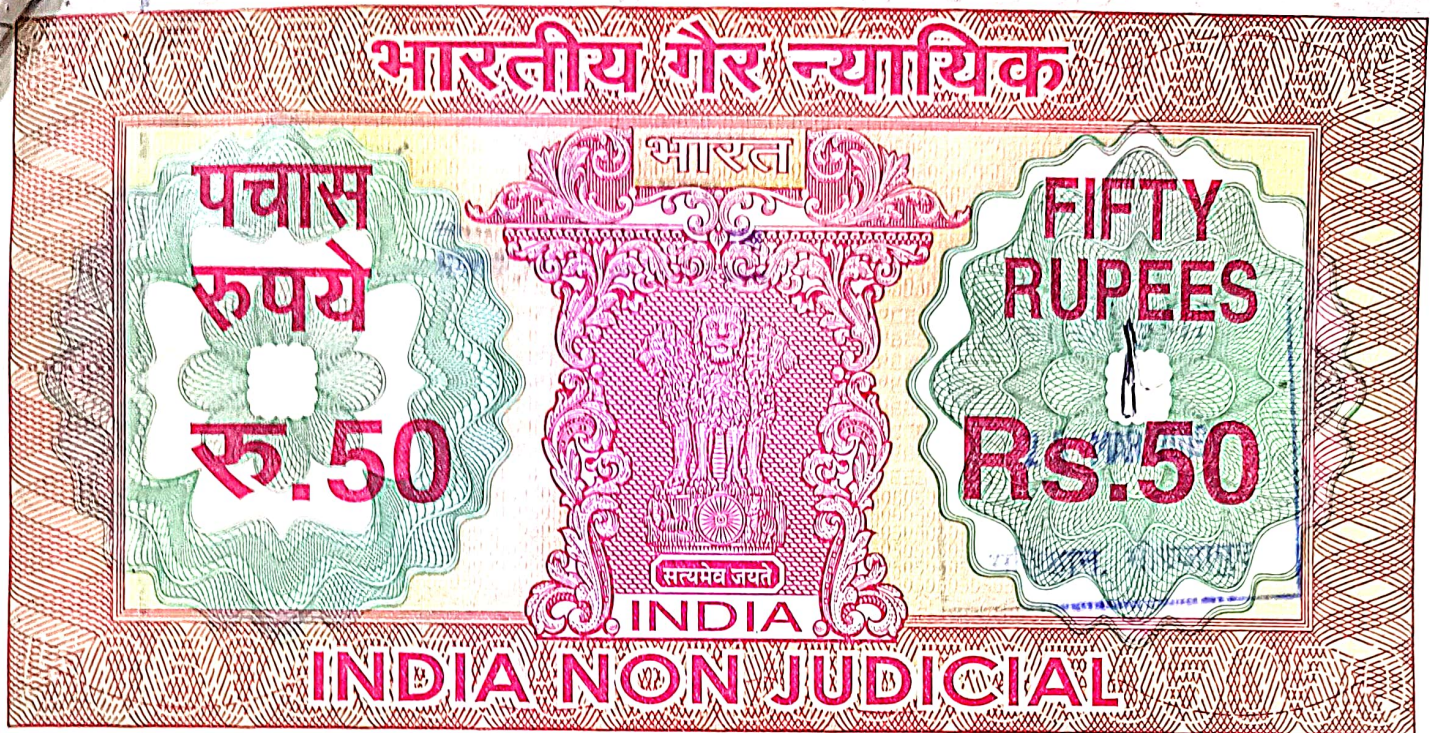

2X5
20

गुन्नाहोले ०१. जमाना पाले २५० कृष्णदास
मिहिरा

राजधर सिंह
भा. नं०-३, भा. की अगुआ.....
२००० मी. २५० मी. २५० मी.

298175 70





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514893

9

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगा जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने की स्थिति में उत्तराधिकारी अधिनियम से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

उत्तराधिकारी

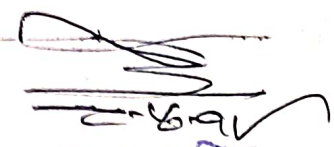


मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष



256
20

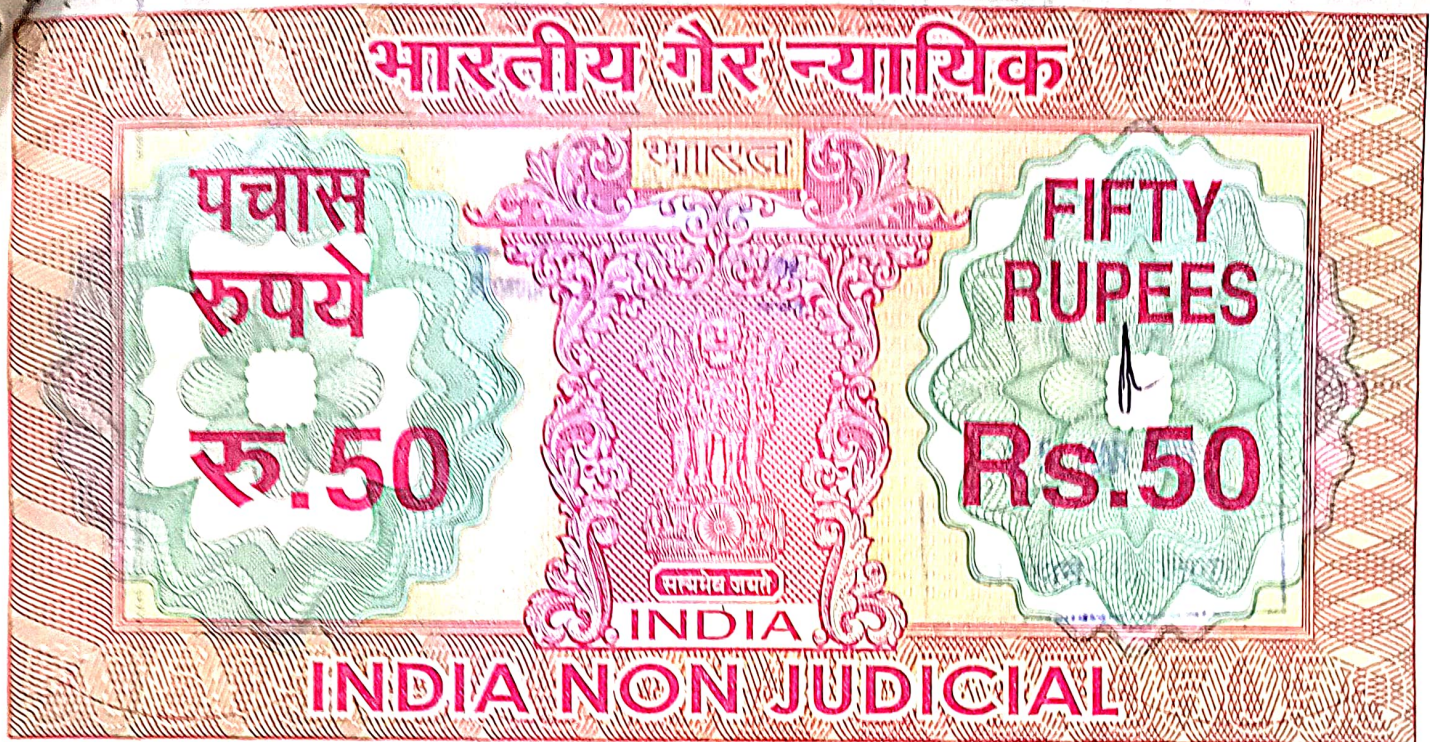
ग-नरसिंह ०१ अमनराजपालसिंह सहायक चौक



राजधर सिंह
का० नं०-३, तारा की अवधि.....
प्रमाण दि० २०, तारा मंडिहान, मीरजापुर

256
20
मृगमाला, तारा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514894

10

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी तक अपने उत्तराधिकार हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज-

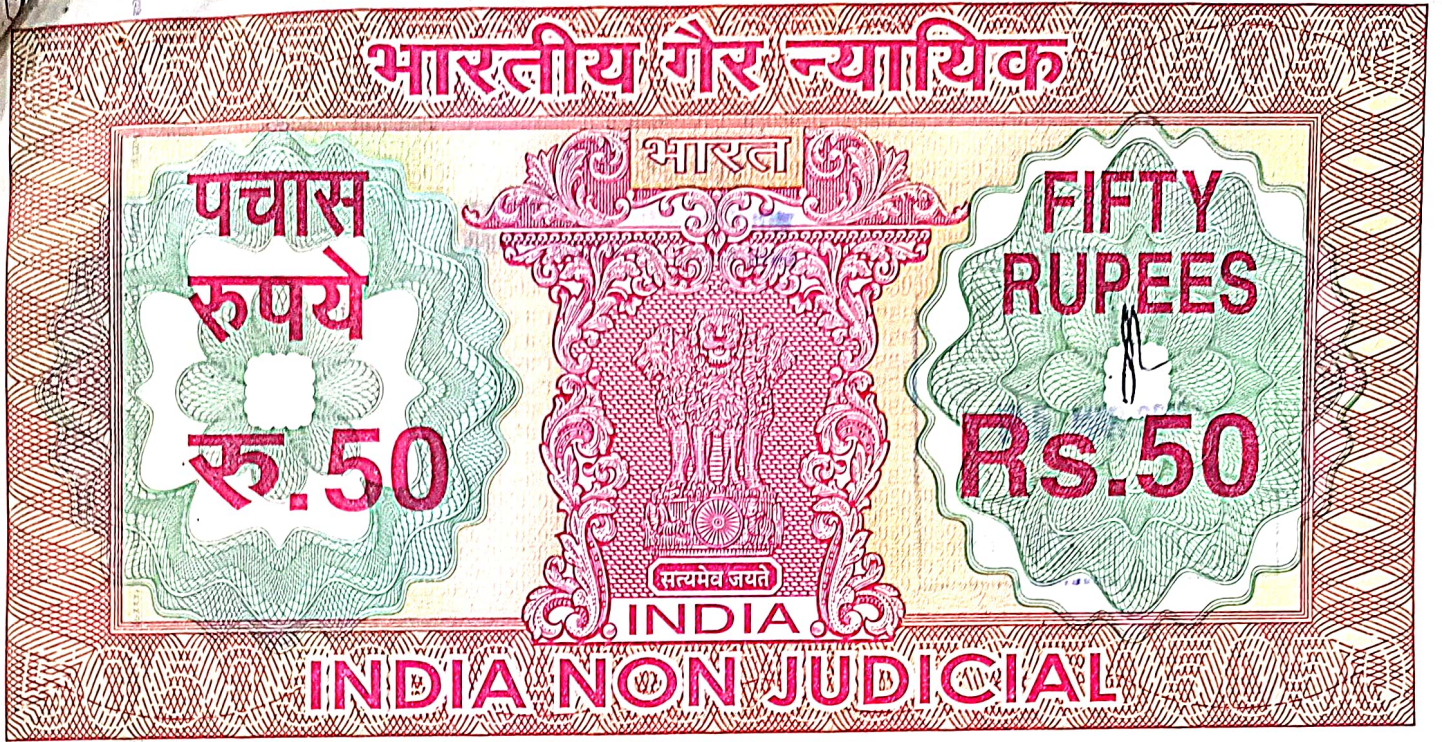
1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो किन्हीं या विशेष विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन कर सकता है जिसमें अधिकतम 11 सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट व निश्चित करेगा। ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताएँ ट्रस्ट के हित में मनोनीत ट्रस्टी को पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

मुन्ना सिंह



ने ब्रह्म सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514895

11

4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य तथा अन्तिम होगा।

अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल व सुविधाएँ –

1. यह कि अध्यक्ष ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. यह कि ट्रस्टी अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय भत्ते आदि लेता है तो उस पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं अपनी आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा।

कार्यक्षेत्र –

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा तथा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी भी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

मुन्दा सिंह



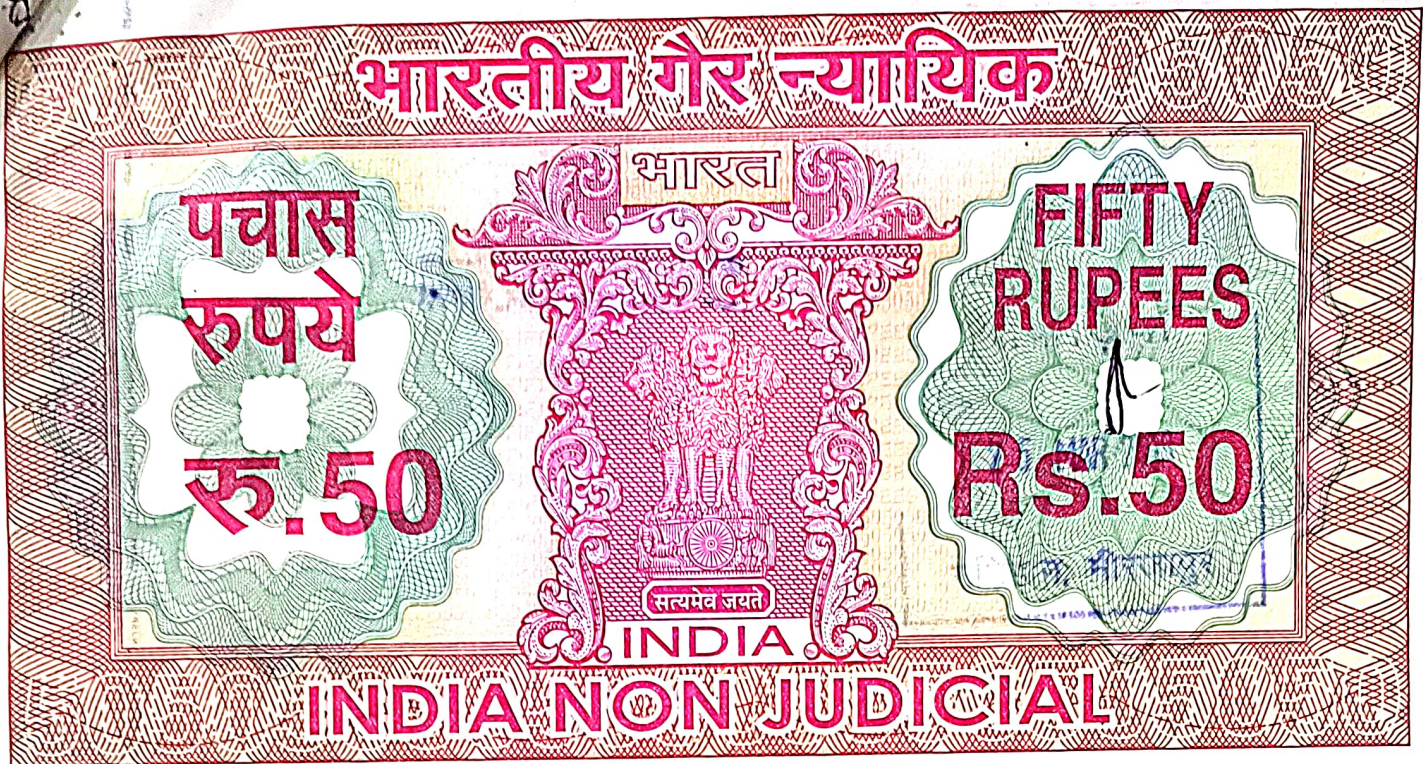
नेत्रु सिंह



241/25
जनरल लिट 0- अग्रतपरीलिह 241/25 चौडा रफ्त में

राजधर सिंह
का० नं०-3, ला० की रायवि...
पञ्च विवेका, तप० गडिहान, गीरधर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514896

12

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार -

मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा-निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को मान्य एवं स्वीकार होगा।

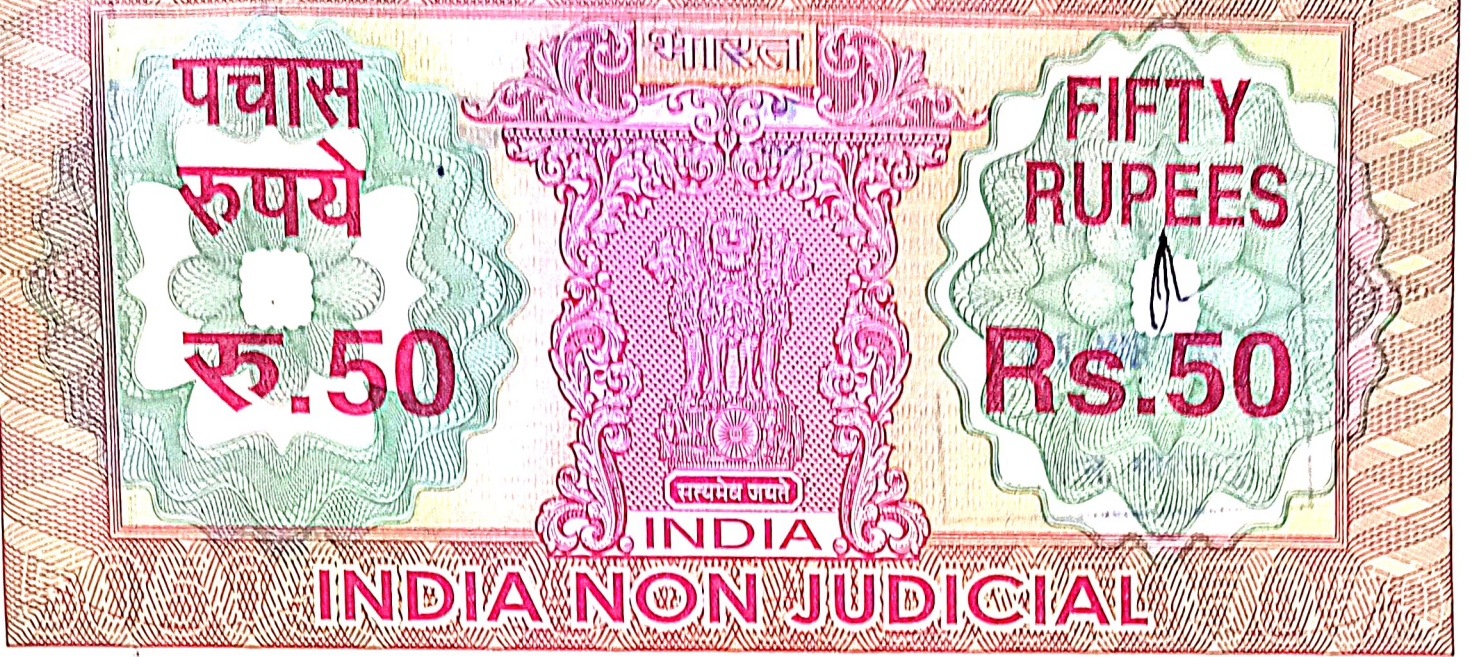
उपाध्यक्ष की नियुक्ति -

1. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाओं आदि का कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के अनुग्रह तथा प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्ति को उसके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियों कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

मूल फीट


ने बू फीट


भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514897

13

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकारों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे।

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
3. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

अध्यक्ष ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार-विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।

महेश सिंह



→ ०५/११/१६

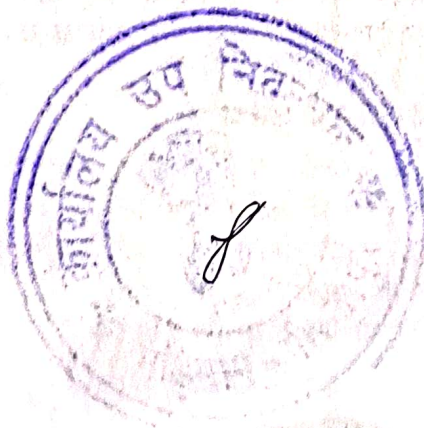


239
40

मन्त्रालय ६० अमरावती २५/१२/२०१८

राजेश सिंह

कत0 नं0-3, तार की जयवि...
विठेला, तार0 पद्विहान, मीरसागर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

भारत



INDIA

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514898

14

3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त करना उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागाकेन्द्रों/संस्थाओं/ उपसंस्थाओं का गठन कर सकना ताकि उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों, आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम, उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी भी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव के कार्यों का ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।

उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से अधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

मुसिबि

→ २५/१६

272
50

गन्तव्य-00 अन्नराजपालिका वडा नं. ३

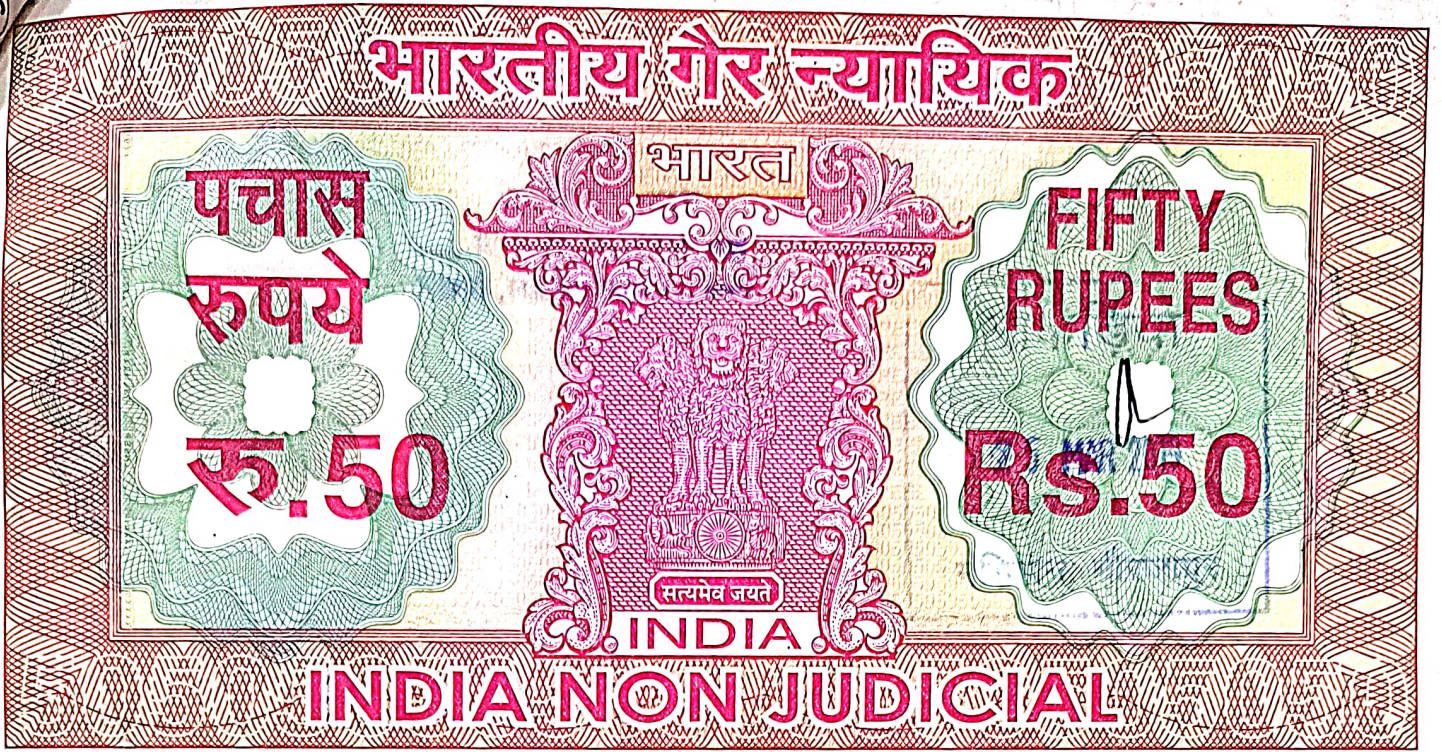


राजेश्वर सिंह

डा. १०-३, वडा नं. ३, वडा नं. ३, वडा नं. ३

वडा नं. ३, वडा नं. ३, वडा नं. ३, वडा नं. ३





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514899

15

बैंक एकाउण्ट खोलना/संचालन करना -

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

विधिक कार्यवाही -

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही हो तो सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

सम्पत्ति सम्बन्धी -

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

Handwritten signature

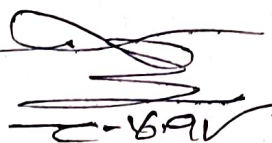
Handwritten signature



२६३
५९

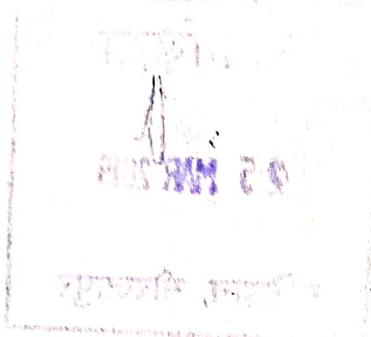
गुनराज सिंह ०० अग्रराजराज सिंह ०० कच्छेडा ००

रामचरण



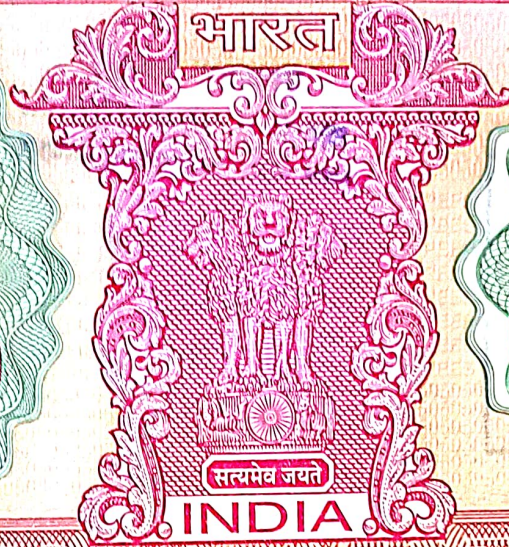
राजेश सिंह

कानू नं०-३, लाल की लपटि...
पञ्जाब विधान, लाल की लपटि, बीकानेर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514950

16

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख-विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है या आवश्यकता पड़ने पर बैंक/संस्था/कम्पनी से ऋण ले सकता है या ऋण दे सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक भारित, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है।

मुद्रा
→ २५/६

4/9/2019

राजपार सिंह
प्लॉ 40-3, तार की जयपति...
महाराष्ट्र, तार महिहान, मीरजापुर

आवेदन सं०: 201901002001837

न्यास पत्र

बही सं०: 4

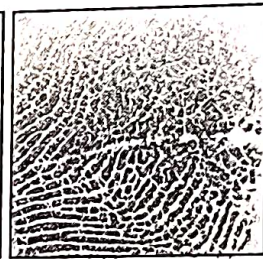
रजिस्ट्रेशन सं०: 6

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 900 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री मुन्नर सिंह,
पुत्र श्री जगनरायन सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: बघौडा पो0 बघौडा मडिहान मीरजापुर

मुन्नर सिंह



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 09/04/2019 एवं 12:35:25 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मडिहान मीरजापुर श्री त्रिभुवन नाथ (प्रभारी)

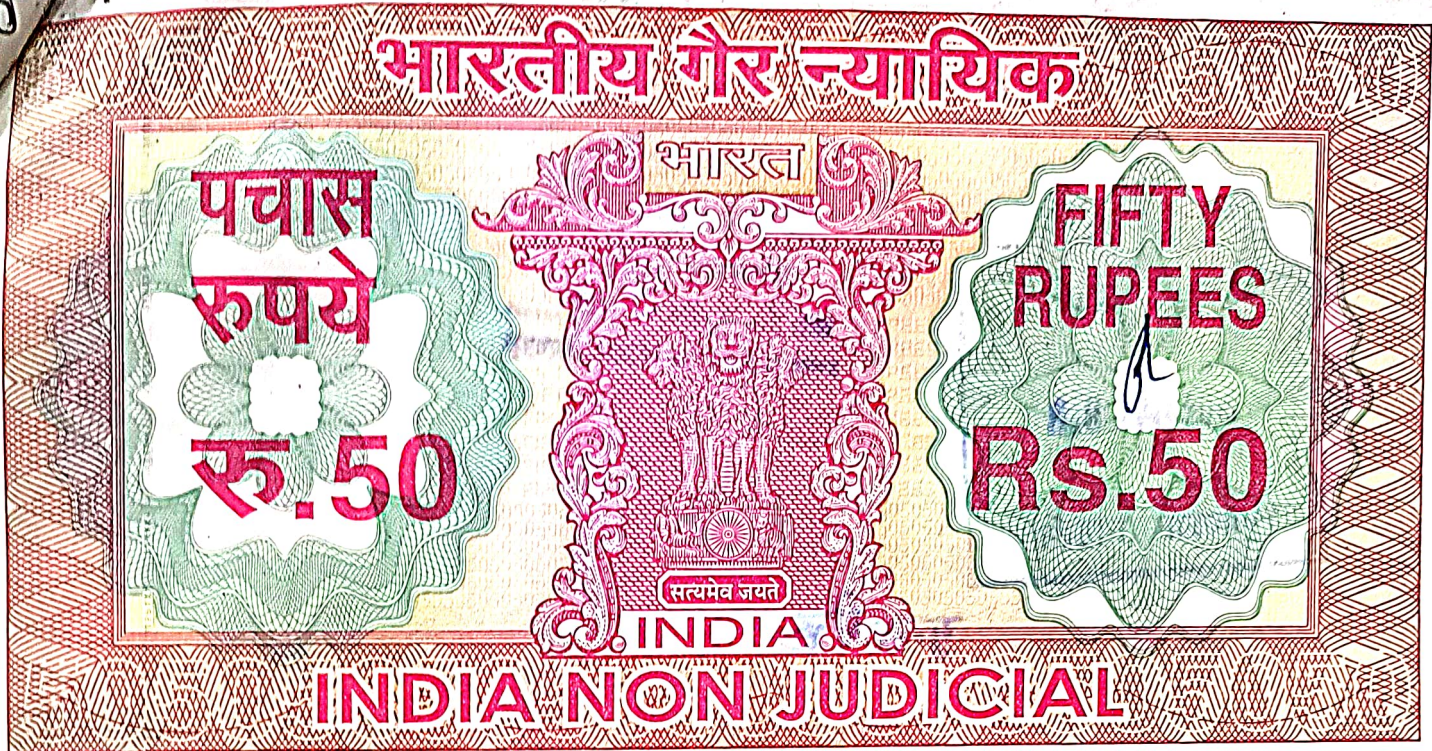
उप निबंधक :मडिहान

मिर्जापुर

09/04/2019

मिर्जापुर मरिहन लिपिक

निबंधक लिपिक



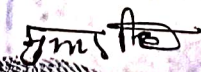
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

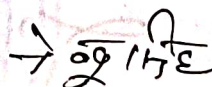
BT 514951

17

विशेष -

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।
2. अध्यक्ष ट्रस्टी यदि उचित समझें तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है।
3. अध्यक्ष ट्रस्टी उद्देश्य एवं नियमावली में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु पंजीकृत कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे कर संशोधन कर सकता है।




→ 



10/11/19

आवेदन सं०: 201901002001837

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 6

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री मुन्नर सिंह, पुत्र श्री जगनरायन सिंह

निवासी: बघौडा पो0 बघौडा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

मुन्नर सिंह



न्यासी 2: 1

श्री नेबू सिंह, पुत्र श्री जगनरायण सिंह

निवासी: बघौरा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

नेबू सिंह



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री विनोद कुमार सिंह, पुत्र श्री दयाराम सिंह

निवासी: बघौडा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

विनोद कुमार सिंह



पहचानकर्ता: 2

श्री अरविन्द, पुत्र श्री कुंजराम

निवासी: पथरखुरा पो0 बघौरा मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

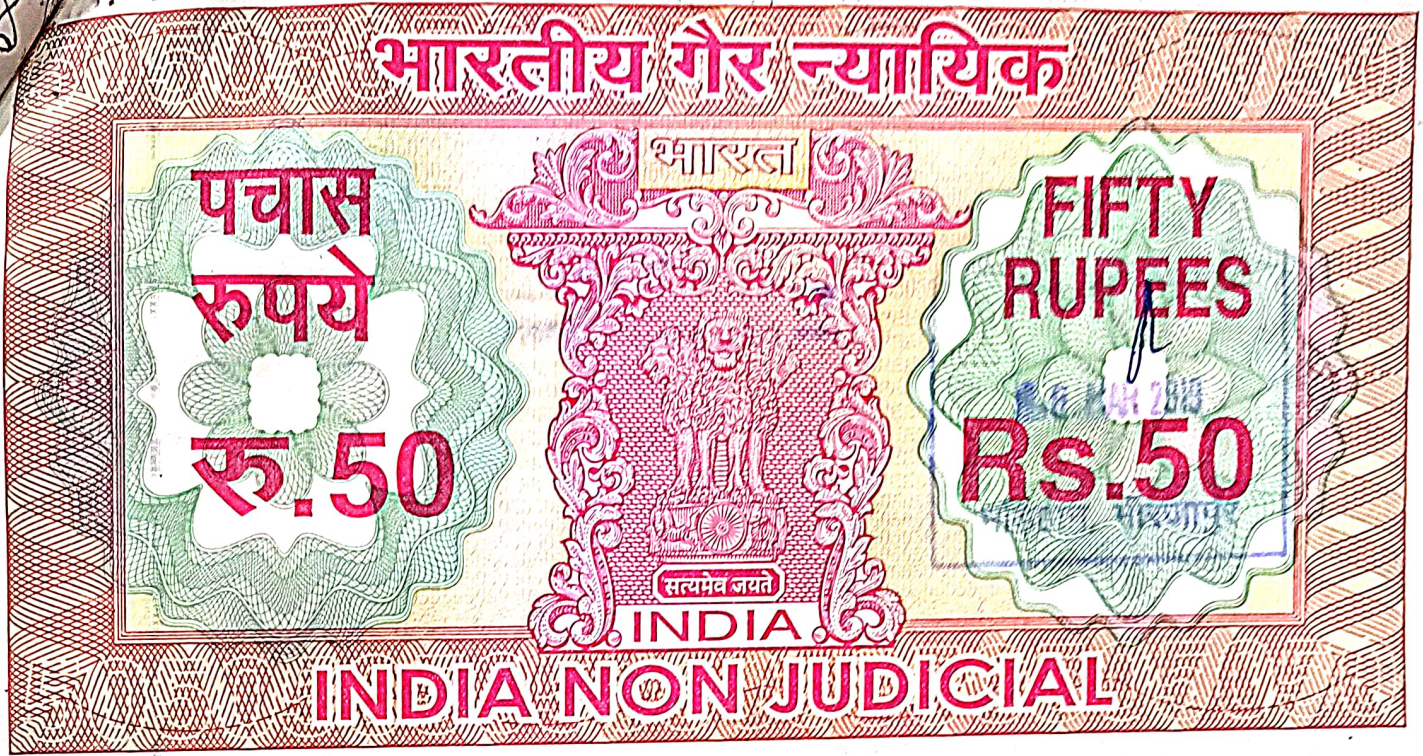
ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

मडिहान मीरजापुर श्री त्रिभुवन नाथ (प्रभारी)

उप निबंधक: मडिहान मिर्जापुर

मिर्जापुर मरिहान लिपिक निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514952

18

मसविदा किया-श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एडवोकेट, तहसील मडिहान,
जिला-मीरजापुर। मो0नं0-6388410931
टाईप किया-सचिन देव गुप्ता दीवानी कचहरी मीरजापुर, रजि0नं0-485/13
मो0नं0-9335315722
दिनांक-08.04.2019

Sachin

मुन्नर सिंह
(संस्थापक / अध्यक्ष)
ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट

गवाह-1-विनोद कुमार सिंह पुत्र दयाराम सिंह निवासी बघौड़ा,
तहसील-मडिहान, जिला-मीरजापुर। मो0नं0-2080126394
आधार सं0-5220 7696 9199

विनोद कुमार सिंह

गवाह-2 अरविन्द पुत्र कुंजराज निवासी पथरखुरा, पोस्ट-बघौरा,
जिला-मीरजापुर, जिला-मीरजापुर। मो0नं0-97938819237
आधार सं0-6140 3728 3752

अरविन्द

अरविन्द



4/10/2019

गौरी सिंह ०. गौरी सिंह २०० ४४०० ४४००

राजेश्वर सिंह
८-४-१४

राजेश्वर सिंह
प्लॉट नं०-३, ला० की लायि...
मिर्जापुर, तह० मडिहान, मीरजापुर



आवेदन सं०: 201901002001837

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 7 के पृष्ठ 357 से 392 तक क्रमांक
6 पर दिनांक 09/04/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मडिहान मीरजापुर श्री त्रिभुवन नाथ (प्रभारी)

उप निबंधक : मडिहान

मिर्जापुर

09/04/2019



भारतीय गैर न्यायिक

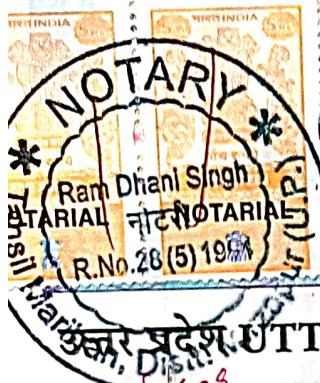
एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIAN NON JUDICIAL



UTTAR PRADESH

EP 013480

शपथपत्र

=====

शपथपत्र द्वारा मुन्नर सिंह पुत्र जगनरायन सिंह निवासी ग्राम व पो 0 बयौड़ा तह 0
मड़िहान, जिला मीरजापुर ब्रम् लक्ष्मण वर्मा

शपथग्राही शपथपूर्वक निम्नांकित बयान करता है:-

दफा 1- यह कि शपथग्राही पता उपरोक्त का स्थायी निवासी है।

दफा 2- यह कि शपथग्राही ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट का ट्रस्टी है
हम शपथग्राही आपके शाखा में खाता खोलना चाहता है।

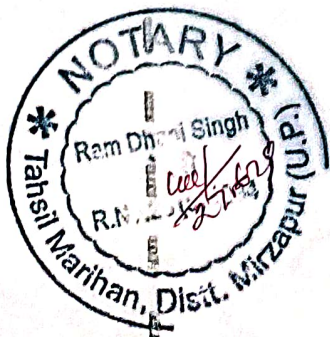
दफा 3- यह कि प्रधान ट्रस्टी मुन्नर सिंह के साथ सह ट्रस्टी नेहरू सिंह
पुत्र जगनरायन सिंह जो कि ट्रस्ट में सहकातेदार है।

दफा 4- यह कि हम शपथग्राही प्रधान ट्रस्टी के साथ सह ट्रस्टी भी
खाता में आजीवन सहकातेदार बने रहेंगे।

दफा 5- यह कि शपथपत्र का कुल मजमून दफा 1, लाघत 4 मेरी
व्यक्तिगत जानकारी में सत्य व सही है। कोई बात छिपाई नहीं गयी है। ईश्वर
मेरी मदद करें।

दिनांक:-

मुन्नर सिंह
शपथग्राही-



REX
900

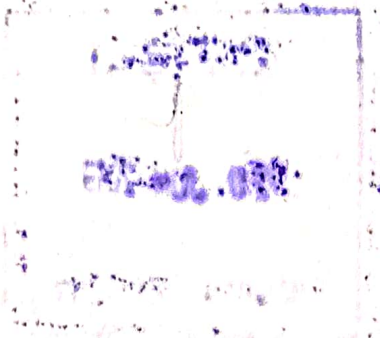
गुन्ना सिंह के अग्रज (पुत्र) सिंह राव चौधरी चरनी हारजी सिंह

001

26-द-व

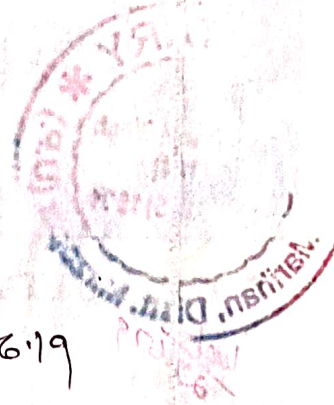
राजधर सिंह

सद. नं. 1, स.स. की अदालत.....
महाराज, स.स. महाराज, गीरवापुर



मुन्ना सिंह

27.06.19



गुन्ना सिंह

an affidavit declaration before me
H.M./P.M. and I administered
to him/her who is acquainted &
I have seen him/her and he/she
has sworn to the contents of the affidavit declaration
and has signed and sealed the same

1972

